



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 06 नवम्बर, 2025 / 15 कार्तिक, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th October, 2025

No. 31110 (Year-2021).—In supersession of this Department's Notification No. HFW-B-B02/17/2021-Health-B-(31110), dated 03-10-2025, **the Governor, Himachal Pradesh, is pleased**
168—राजपत्र / 2025—06—11—2025 (7509)

to order the transfer/shifting of 32 posts of Assistant Professor (Superspecialty), earlier created in the Departments of Cardiology, Neurosurgery, Urology and Gastroenterology for Indira Gandhi Medical College, Shimla; Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda; Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Nerchowk, Mandi; and Dr. Radhakrishnan Government Medical College, Hamirpur, **to the Department of Emergency Medicine in the respective Government Medical Colleges**, with immediate effect, in the public interest, as per the details given below:—

Sl. No.	Name of Medical Colleges	Posts created under the Department of Emergency Medicine in the respective Medical Colleges			
		Cardiology	Neuro-surgery	Urology	Gastro-enterology
1.	IGMC Shimla	03	03	03	03
2.	Dr. RPGMC Tanda	03	03	02	02
3.	SLBSGMC Nerchowk, Mandi	02	01	01	01
4.	Dr. RKGMC Hamirpur	02	01	01	01
	Total =	10	08	07	07
	Grand total =	32 (Thirty two) posts			

The above 32 posts of Assistant Professor (Superspecialty), now placed under the Department of Emergency Medicine, shall be filled up strictly in accordance with the eligibility criteria prescribed in the prevailing Recruitment and Promotion (R&P) Rules for faculty members in the respective Superspecialties.

This notification is issued with the prior approval of the competent authority.

By order,

Sd/-
M. SUDHA DEVI,
Secretary (Health).

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th October, 2025

No. 270468 (Year-2025).—In supersession of this Department's notification of even number dated 16-05-2025, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify a new policy,

namely the “**MO/CMO Engagement Policy 2025**” for tenure-based engagement of Medical Officers (MOs), Casualty Medical Officers (CMOs) and other equivalent posts under the cadre of Medical Education Department, Himachal Pradesh, with immediate effect, in the public interest, as detailed in **ANNEXURE-A**.

This notification is issued with the prior approval of the competent authority.

By order,

Sd/-

M. SUDHA DEVI,
Secretary (Health).

ANNEXURE-A

1. Short Title:

This policy may be called ‘tenure-based engagement of MO/CMO and other equivalent posts in Government Medical Colleges and AIMSS Chamiana (Shimla) under the Department of Medical Education, Himachal Pradesh’ in short ‘**MO/CMO Engagement Policy 2025**’.

2. Commencement:

The Policy shall come into effect from the date of notification.

3. Definitions: Notwithstanding anything to the contrary:

3.1 ‘**AMRU**’ shall mean the Atal Medical and Research University, Nerchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.

3.2 ‘**CoE-AMRU**’ shall mean the Controller of Examinations, Atal Medical and Research University, Nerchowk, Mandi, H.P.

3.3 ‘**CMO**’ shall mean Casualty Medical Officer.

3.4 ‘**DME**’ shall mean the Director, Medical Education and Research, Himachal Pradesh.

3.5 ‘**Government**’ shall mean the Government of H.P.

3.6 ‘**HAO**’ shall mean Hospital Administrative Officer.

3.7 ‘**Medical College/Institution**’ shall mean all Government Medical Colleges and AIMSS Chamiana (Shimla).

3.8 ‘**MO**’ shall mean Medical Officer.

3.9 ‘**MO (Blood Bank)**’ shall mean Medical Officer (Blood Bank).

3.10 **‘MO (Store)’** shall mean Medical Officer (Store).

3.11 **‘MO (TCCC)’** shall mean Medical Officer (Tertiary Cancer Care Centre).

3.12 **‘RLMO’** shall mean Registrar-*cum*-Lady Medical Officer.

3.13 **‘MO/CMO’** shall collectively refer to Medical Officer, Casualty Medical Officer and other equivalent posts namely MO (Store), MO (Blood Bank), HAO, RLMO, and MO (TCCC), who shall be engaged on a temporary/tenure basis under the cadre of the Medical Education Department, H.P.

3.14 **‘State’** shall mean the State of Himachal Pradesh.

4. Number of Posts:

The number of posts shall be as notified by the State Government from time to time. However, the presently sanctioned posts of all categories are as under:

Sl. No.	Name of College/ Institution	Sanc. posts of CMO	Sanc. posts of MO (all categories)
1.	IGMC Shimla	34	04
2.	AIMSS Chamiana	05	04
3.	Dr. RPGMC Tanda	14	03
4.	Dr. YSPGMC Nahan	--	--
5.	Dr. RKGMC Hamirpur	09	--
6.	SLBSGMC Nerchowk	06	02
7.	Pt. JLNGMC Chamba	--	--
	Total	68	13
	Grand Total	81 (Eight one) posts	

Note.—The number of posts may be increased or decreased by the Government from time to time, as deemed necessary.

5. Classification:

Class-I (Gazetted) Tenure based post for the period of three years.

6. Age Limit:

6.1 **18–45 years** (with age relaxation for specified reserved category candidates strictly as per the rules/instructions notified by the Department of Personnel, Government of Himachal Pradesh from time to time).

6.2 **Retired Medical Officer:** May be engaged up to 65 years.

7. Nationality:

Indian citizenship is mandatory.

8. Educational Qualification-cum-Eligibility Criteria:

8.1 **MBBS Degree:**—A recognized medical qualification (MBBS or equivalent) from an institution approved by the National Medical Commission (NMC).

- 8.2 **Registration:**—Valid registration certificate issued by the Himachal Pradesh State Medical Council.

9. Additional Requirements:

- 9.1 **Physical Fitness.**—Candidates must submit a fitness certificate during engagement.
- 9.2 **Documentation.**—Original certificates (educational, registration and other required documents etc.) must be produced at the time of joining.
- 9.3 **Service Obligation.**—In Himachal Pradesh, engagements or postings may be assigned to any health institution in the state as needed during emergencies.
- 9.4 The selected candidate must provide a legally binding affidavit prior to joining; affirming their acceptance of all terms and conditions outlined in this policy for their engagement as Casualty Medical Officer or Medical Officer of all categories under the Department of Medical Education, H.P. purely on tenure basis.

10. Roles and Responsibilities:

10.1 Clinical Duties:

- (a) 24/7 emergency care for trauma, casualty and emergency medicine department and medico-legal cases.
- (b) **Triage** of patients into routine, semi-critical and critical categories.

10.2 Administrative Duties:

- (a) Coordination with specialists, nursing staff, and paramedics
- (b) Compliance with protocols for bio-medical waste (BMW) and disaster management.
- (c) Documentation of medico-legal cases (MLCs)

11. Service conditions:

- 11.1 **Working hours.**—Shift-based duties covering all hours
- 11.2 **Termination.**—Engagement/services may be terminated without notice for unsatisfactory conduct or antecedents.

12. Regulatory compliance:

- 12.1 **NMC guidelines.**—While focused on teaching staff, casualty officers must ensure patient care standards meet institutional requirements.
- 12.2 **State instructions/guidelines.**—Adherence to Himachal Pradesh State and any other instructions issued from time to time.

13. Challenges and considerations:

13.1 **Staff Shortages.**—High attrition in emergency roles necessitates frequent recruitment.

13.2 **Training.**—Need for periodic skill upgrades in emergency protocols.

14. Method of Engagement:

14.1 The AMRU shall advertise the posts, after obtaining the approval of the Government through the DME, for filling up of the posts of MO/CMO on tenure basis.

14.2 The candidates shall be engaged on the basis of a written test to be notified by the AMRU, applicable to all Medical Colleges/Institutions, upon receipt of applications.

14.3 The schedule for conducting the written test shall be finalized by the AMRU for all posts and Medical Colleges collectively, and not on a college-wise basis.

14.4 The dates for physical verification of documents shall be fixed by the AMRU for all Medical Colleges and the AMRU shall correspond with the DME well in advance regarding the same.

14.5 The interested and eligible candidates, as per the advertisement schedule, shall submit their applications to the AMRU within the stipulated time period.

14.6 Upon declaration of the result, candidates must be present for document verification; failure to do so shall result in their candidature being deemed rejected. However, in case a candidate is unable to attend in person due to unavoidable circumstances, he/she may authorize a representative to appear on their behalf, along with the candidate's original educational, academic and other supporting documents for verification. The document verification shall be conducted by a committee consisting of the following members:

1.	Director, Medical Education & Research, H.P.	<i>Chairman</i>
2.	Controller of Examinations, AMRU	<i>Member Secretary</i>
3.	All the Principals of Government Medical Colleges and AIMSS, Chamiana (Shimla).	<i>Member</i>

14.7 Upon completion of the aforementioned process, the AMRU shall forward the results/selection list, along with the waiting panel, to the DME, within one week of completion of the selection/counselling process, in a confidential manner.

14.8 The DME shall consolidate the entire results/selection list on a combined basis (not college-wise) and recommend the names of selected candidates to the Government strictly in accordance with the available vacancies for their posting.

- 14.9 Based on the recommendations submitted by the DME, the Government shall convey approval to the DME for issuance of posting orders. Upon receipt of such approval, the DME shall issue engagement orders strictly in accordance with the terms and conditions prescribed by the Medical Education Department from time to time.

15. Terms & Conditions:

- 15.1 The selected candidate, at the time of joining, will submit a '**legal undertaking in the form of affidavit**' that he/she shall not claim for regularization/continuation/promotion and any other ancillary benefits against the post he/she engaged on tenure basis. The candidate shall be purely on tenure/temporary basis and shall not confer any right of regularization/ continuation/promotion and any other ancillary benefits.
- 15.2 The candidate/selectee will be governed in accordance with the terms and conditions fixed by the Department of Medical Education, Himachal Pradesh from time to time. The rules, regulations and orders in force from time to time as applicable to other Government servants such as CCS (CCA) Rules and CCS (Conduct) Rules, instructions/guidelines/notifications issued by the Department of Personnel/ Finance, Government of Himachal Pradesh shall not be applicable to the selectee.
- 15.3 The MO/CMO shall be engaged initially for a period of 03 (three) years and his/her period may be extended by the Government on the recommendations of the Principal concerned. However, the candidate shall not claim that his/her tenure may be continued. In all case, further extension can be granted on the recommendations of the Principal concerned as well as keeping in view of the larger public interest of patient care and the Government will be competent authority for the same. If the Government does not grant timely extension for the tenure of the concerned MO/ CMO despite the recommendations of the concerned Principal, the fixed tenure of the candidate will automatically terminate from the next day after the completion of his/her normal tenure.
- 15.4 The services of the selectee are liable to be terminated by the Government in case the work and conduct/performance of the candidate during the tenure period is not found satisfactory.
- 15.5 The selectee will be entitled for one day Casual Leave after putting in one month services without any interruption. However, the selectee will also be entitled for 180 days Maternity Leave under the Maternity Benefits Act, 1961 and 10 days Medical Leave. However, she/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the selectee.
- Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar year and will not be carried forwarded for the next Calendar year.
- 15.6 Unauthorized/wilful absence from the duty without approval of the controlling authority *i.e.* Principal concerned, shall automatically lead to the termination of the tenure. During the period of unauthorized absence from the duty, the emoluments shall not be paid for the said period to the selectee.

- 15.7 The selectee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to other regular Government employee *i.e.* Medical Officer.
- 15.8 The engagement is purely provisional and contingent upon verification of the candidate's educational qualifications and other certificates by the concerned Principal through the proper channel. If such verification reveals that any certificate or qualification is found to be false or fraudulent, the engagement shall be terminated immediately, without assigning any further reason, and without prejudice to any further action that may be initiated under the provisions of the Indian Penal Code for submission of false certificates.
- 15.9 He/she will have to give a declaration to the effect that he/she has only one living spouse, if married.
- 15.10 He/she will have to take an oath of allegiance/ faithfulness to the Constitution of India or marking a solemn affirmation.
- 15.11 He/she will have to produce all the certificates of the requisite qualifications to the concerned post in original at the time of joining.
- 15.12 The benefit of Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF/GPF etc. will not be applicable to the selected candidate.
- 15.13 The monthly emoluments of the MO, CMO, MO (Store), MO (Blood Bank), HAO, RLMO, MO (TCCC) etc., will be fixed as under:-

Sl. No.	Category/ Name of post	Emoluments
1.	Casualty Medical Officer (CMO)	₹33,660/- only (fixed monthly emoluments)
2.	Medical Officer (MO)	
3.	Medical Officer (Store)	
4.	Medical Officer (Blood Bank)	
5.	Hospital Administrative Officer (HAO)	
6.	Registrar-cum-Lady Medical Officer (RLMO)	
7.	Medical Officer (Tertiary Cancer Care Centre)/Medical Officer (TCCC).	

- 15.14 The Government may increase and decrease the monthly emoluments of the MO and CMO (all categories of MOs/ CMOs under the DME cadre) keeping in view of the State exchequer.

15.15 The candidate shall not claim to increase his/her monthly emoluments on the analogy of other regular Government employees of the Medical Education/ Health Department of Himachal Pradesh.

15.16 During the tenure period, no advance will be given to the selectee.

15.17 The selected candidate must submit a 'legal undertaking in the form of affidavit', affirming his/her unconditional acceptance of all terms and conditions outlined in this policy, alongwith those specified in the offer of engagement orders issued by the Directorate of Medical Education & Research, Himachal Pradesh.

15.18 On being offered engagement on tenure basis, the selectee shall sign an agreement as per the terms and conditions fixed by the Government from time to time and submit joining report to the Government through Principal concerned.

16. Affidavit/Legal Undertaking:

16.1 The Principal concerned shall be competent authority to ensure that the legal undertaking in the form of affidavit is submitted by the concerned/selected candidate before their joining. The submission of legal undertaking/affidavit is required to be mentioned in the engagement orders of the selected candidate after obtaining the approval of the Government.

16.2 The concerned Principal shall be the competent authority to ensure that the affidavit has been submitted and signed strictly in accordance with the terms and conditions prescribed by the Government for engagement of MO/CMO in the cadre of DME. The Principal shall also be the competent authority to execute the agreement.

17. Reservation:

The reservation roster shall be applied common for all sanctioned posts equivalent to the post of Medical Officer under the establishment of the Department of Medical Education, as per the guidelines/instructions issued by the Department of Personnel, Government of Himachal Pradesh, from time to time. However, in the event that suitable candidates belonging to reserved categories are not available in any category, the post shall be filled from among the candidates of the General category. It is further provided that the reservation roster shall be maintained afresh and in a fair and transparent manner by the AMRU for the cadre of Medical Education Department.

18. Power to relax/change/amend the policy:

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing relax/change/amend any of the provision(s) of this policy.

**ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश**

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव ज्योर, डाकघर जकातखाना, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर।

विषय.—प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मनोज कुमार ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि निम्न प्रकार से है:—

क्र० सं०	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	प्रियांशी	पुत्री श्री मनोज कुमार	04-04-2024

अतः ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 16-11-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टाली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 15-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(धर्मपाल हि०प्र०से०),
उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)।

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).**

In the matter of:

1. Sh. Pawan Kumar s/o Sh. Hans Raj, r/o Vill. Bhranai, P.O. Dhalwan, Teshil Baldwara, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Shweta Chaudhary d/o Sh. Madan Lal, r/o Vill. Pansal, P.O. Kherian, Dehra, District Kangra (H.P.) ...Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Pawan Kumar and Smt. Shweta Chaudhary have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the Court of undersigned, stating therein that their marriage ceremony has been performed on 16-09-2025 at Santoshi Mata Mandir Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur, H.P. according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 26-11-2025. In case no objection is received by 26-11-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 27-10-2025.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Nadaun,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of:

1. Sh. Navneet Singh s/o Kehar Singh, r/o Subhash Colony, Ward No 4 M.C. Ghumarwin, Tehsil Ghumarwain, District Bilaspur (H.P.).

2. Manu Bala d/o Suresh Kumar, r/o Village Badoi, Post Office Bhiambi, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith Affidavits and supporting Documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 14-08-2021 at Arya Smaj Temple Sector 22A-Chandigarh and they are living as husband and wife since then hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this office on or before 15-11-2025 at 11.00 A.M. The objection (s) after 15-11-2025 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 04-10-2025 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
30 / NT / 2025	नाम दुरुस्ती	26-05-2025	11-11-2025

श्रीमती कांता देवी पत्नी जगदीश चन्द, वासी मोहाल, चपटेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती कांता देवी पत्नी जगदीश चन्द, वासी मोहाल, चपटेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती कांता देवी पत्नी जगदीश चन्द, वासी मोहाल, चपटेहड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख में जगदीश चन्द पुत्र पंजू पुत्र राधा दर्ज है, जबकि उसका नाम जगदीश भारतीया पुत्र पंजू पुत्र राधा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल चपटेहड के राजस्व अभिलेख में जगदीश चन्द उर्फ जगदीश भारतीया पुत्र पंजू पुत्र राधा किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 11-11-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 25-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकदमा नं0 : 82/2025

तारीख रजुआ : 17-10-2025

Shri Thakur Singh s/o Late Mani Ram, r/o Village Shudarang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता,
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थी के चाचा जी का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Shri Thakur Singh s/o Late Mani Ram, r/o Village Shudarang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके चाचा Late Jarpal s/o Late Shyam Nar की मृत्यु 01-07-1998 को गांव कल्पा में हुई थी तथा अज्ञानतावश उनका मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने चाचा जी का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बारंग के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Shri Thakur Singh s/o Late Mani Ram, r/o Village Shudarang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) के चाचा जी Late Jarpal s/o Late Shyam Nar की मृत्यु 01-07-1998 को गांव कल्पा में हुई है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-11-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के चाचा जी की मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 20/2025

आगामी पेशी : 14-11-2025

श्रीमती भीमी देवी पुत्री श्री नरोतु, निवासी गांव भौउरु थाच, डाकघर बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती भीमी देवी पुत्री श्री नरोत्तु, निवासी गांव भौउरु थाच, डाकघर बनोगी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन—पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1964 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बनोगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01-01-1964 दर्ज करवाना चाहती है, प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनोगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग—I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 14-11-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बनोगी, तहसील सैज में उक्त प्रार्थिया जन्म तिथि 01-01-1964 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत प्रिंस धिमान, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /2025

तारीख मजरूआ : 24-10-2025

तारीख पेशी : 26-11-2025

शकुन्तला देवी पुत्री श्री गुरसाई, निवासी गांव चन्देह, डाकघर मझबाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

शकुन्तला देवी पुत्री श्री गुरसाई, निवासी गांव चन्देह, डाकघर मझबाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका जन्म 08-07-1972 को उसके घर गांव चन्देह, डाकघर मझबाड़, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है। प्रार्थिया के अस्पताल की रिपोर्ट, स्कूल शिक्षा प्रमाण—पत्र में जन्म दिनांक 08-07-1972 है। परन्तु अज्ञानतावश वह उक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मझबाड़ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सके हैं। इसे दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत मझबाड़ को दिये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 26-11-2025 को वह असागतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 32/2025

तारीख मजरूआ : 16-10-2025

तारीख फैसला : 26-11-2025

श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री सन्तू पत्नी कृष्ण पाल, निवासी गांव व डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री सन्तू पत्नी कृष्ण पाल, निवासी गांव व डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित दायर किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 29-11-1969 को हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत कमलाह के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। इस प्रकार से प्रार्थिया को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो 26-11-2025 को असागतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकते हैं अन्यथा इनकी जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत कमलाह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Marriage Office-cum-Sub-Divisional Magistrate Sadar,
District Mandi (H.P.)**

In the matter of:—

1. Sh. Sanjay Kumar s/o Sh. Sher Singh, Village Ropru, P.O. Nasloh, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

2. Smt. Sandra Roberts d/o Sh. Joseph Roberts, r/o Flat No. 3, Old Building Rizvi Nagar, Behind Milan Mall Santaruz, West Mumbai, Suburban, Maharashtra-40005. ..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954

Sh. Sanjay Kumar s/o Sh. Sher Singh, Vill. Ropru, P.O. Nasloh, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) and Smt. Sandra Roberts d/o Sh. Joseph Roberts, r/o Flat No. 3, Old Building Rizvi Nagar, Behind Milan Mall Santaruz, West Mumbai Suburban, Maharashtra-400054 (at present wife Sh. Sanjay Kumar s/o Sh. Sher Singh, Vill. Ropru, P.O. Nasloh, Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P.) have files an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-10-2010 according to Hindu rites and customs at Mukteshwar Temple Mumbai and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-11-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of October 2025 under my hand and seal of the court.

Seal

Sd/-

*Marriage Office-cum-Sub-Divisional Magistrate.
Sadar, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)

केस नं० : 66/एन0टी0/2025

तारीख पेशी : 08-12-2025

श्रीमती नूर जहां पुत्री श्री पीर बख्श, निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

इश्तहार/मुश्त्री मुनादी।

श्रीमती नूर जहां पुत्री श्री पीर बख्श, निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1964 को गांव डीनक, डाकघर कनैड, ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ था किन्तु किसी कारणवश जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज न हो सका। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 08-12-2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार मुशत्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 08-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थिया श्रीमती नूर जहां पुत्री श्री पीर बख्श, निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1964 का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 14/एन0टी0/25

तारीख पेशी : 26-11-2025

श्री विन्दर पुत्र स्व0 डुमणू राम पुत्र पदू, निवासी गांव भराड़ी, डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे।

इशतहार/मुशत्री मुनादी।

श्री विन्दर पुत्र स्व0 डुमणू राम पुत्र पदू, निवासी गांव भराड़ी, डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि पटवार वृत्त चाम्बी के मुहाल भराड़ी/15, खतरवाड़/16, चाम्बी/20, व पटवार वृत्त महादेव के मुहाल घांघग/14 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम विन्दर पुत्र डुमणू राम दर्ज कर दिया गया है जबकि उसके आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, ग्राम पंचायत चाम्बी, मैट्रिक प्रमाण-पत्र व अन्य समस्त कागजात में उसका नाम विरेन्द्र कुमार पुत्र डुमणू राम दर्ज है। प्रार्थी ने आगे व्यक्त किया है कि गांव में उसके दोनों नाम प्रचलित हैं तथा दोनों नाम उसी के हैं। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित किए जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 26-11-2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार मुश्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 26-11-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त चाम्बी के मुहाल भराड़ी/15, खतरवाड़/16, चाम्बी/20 व पटवार वृत्त महादेव के मुहाल महादेव/10 में विन्दर पुत्र डुमणू राम के बजाये विन्दर उपनाम विरेन्द्र कुमार पुत्र डुमणू राम दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 93/2025

तारीख मरजुआ : 14-07-2025

अगली सुनवाई : 17-11-2025

1. श्रीमती रिकू पुत्री श्री मनी हालाबाद पत्नी श्री कर्मजीत सिंह दास, निवासी गांव व डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

1. श्री गोसरू पुत्र खलटू, निवासी गांव कन्नै, डाकघर बौण्डा, जिला शिमला, हि0प्र0
2. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र, निवासी गांव चुलिंग, तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हि0प्र0 प्रतिवादी।

दरखास्त तकसीम अराजी खाता मुस्तरीका खाता/खतौनी नं0 165/517 ता 521, कित्ता 11, रकबा तादादी 00-34-70 है0 व खाता/खतौनी नं0 171/534 ता 537, कित्ता 7, रकबा तादादी 0-34-10 है0 वाका चक बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती रिकू पुत्री श्री मनी हालाबाद पत्नी श्री कर्मजीत सिंह दास, निवासी गांव व डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 165/517 ता 521, कित्ता 11, रकबा तादादी 00-34-70 है0 व खाता/खतौनी नं0 171/534 ता 537, कित्ता 7, रकबा तादादी 0-34-10 है0 वाका चक बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।

अतः उपरोक्त वादीगणों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-11-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की

सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे प्रतिवादीगण उपरोक्त को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

प्रेम सिंह,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री राकेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, विकास खण्ड ठियोग . प्रतिवादीगण।

विषय.—जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्ट बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4106, दिनांक 03-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु), मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच.एफ.एल/जन्म एवं मृत्यु/एस.टी./2025-7-4106, दिनांक 03-07-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ श्री राकेश पुत्र हिरदु, निवासी चलान, डाकघर चिखड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 व शपथ-पत्र श्री दुर्गा सिंह पुत्र सिंग राम, निवासी खेरू, डाकघर शडी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0। जिसमें आवेदक श्री राकेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की अपनी पुत्री आयुषी की जन्म तिथि 29-03-2005 किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार में श्री नरेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की पुत्री की जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार आवश्यक है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला में अपने आदेश संख्या जो दिनांक 03-07-2025 को जारी हुआ में की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राकेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 ने अपनी आयुषी की जन्म तिथि 29-03-2005 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत से आवेदक श्री राकेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 के पुत्री आयुषी की जन्म तिथि 29-03-2005 की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव माहोग को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री नरेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, विकास खण्ड ठियोग . प्रतिवादीगण।

विषय.—जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्टार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4107, दिनांक 03-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच.एफ.एल./जन्म एवं मृत्यु/एस.टी./2025-7-4107, दिनांक 03-07-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ श्री राकेश पुत्र हिरदु, निवासी चलान, डाकघर चिखड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 व शपथ-पत्र श्री दुर्गा सिंह पुत्र सिंग राम, निवासी खेरू, डाकघर शडी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0। जिसमें आवेदक श्री नरेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर चिखड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 अपनी पुत्री अनवेशा की जन्म तिथि 01-04-2005 किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में श्री नरेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0प्र0 की पुत्री की जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार आवश्यक है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश संख्या जो दिनांक 03-07-2025 को जारी हुआ में की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री नरेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 ने अपनी पुत्री अनवेशा की जन्म तिथि 01-04-2005 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री नरेश ठाकुर पुत्र जोगेन्दर, निवासी सिरों, डाकघर व पंचायत माहोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की पुत्री अनवेशा की जन्म तिथि 01-04-2005 की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव माहोग को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती माठी देवी पत्नी केवल राम, निवासी वगैड, डाकघर छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

विषय.—जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2679, दिनांक 01-05-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच.एफ.एल/जन्म एवं मृत्यु/एस.टी./2025-5-2679, दिनांक 01-05-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ श्री उदीराम धिमान पुत्र श्री सेवा राम, निवासी ग्राम बगैड, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0। व सुरिन्दर सिंह पुत्र ईन्दर सिंह चौहान, निवासी वनाहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0। जिसमें आवेदन श्री राजेन्दर पुत्र श्री सीता राम, निवासी बगैड, डाकघर छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0। अपनी मृत्यु तिथि 30-07-1994 किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में स्वर्गीय माटी पत्नी केवल राम, निवासी बगैड, डाकघर छैला, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0प्र0 की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला में अपने आदेश संख्या जो दिनांक 16-07-2025 को जारी हुआ।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री मोती राम पुत्र लोकी राम, निवासी कडेरी, डाकघर सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 मृत्यु तिथि 30-07-1994 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत से आवेदक श्री राजेन्दर पुत्र सीता राम, निवासी बगैड, डाकघर छैला, तहसील ठियोग के दादी की मृत्यु तिथि 30-07-1994 की जन्म/मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव डमयाना को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Solan
Tehsil & District Solan. Himachal Pradesh**
notice Under Section 16 of Special Marriage Act

Whereas, Mr. Ashish Thakur s/o Sh. Vijay Thakur, r/o House No. 95/11, Rekha Niwas, Kotlanala, Rajghaer Road Solan, District Solan (H.P.) and Ms. Sanchi Bansal w/o Mr. Ashish Thakur and d/o Mr. Ravinder Prakash, r/o Houes No. 3853, Top Floor Sector-32 D, Chandigarh, have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 16-10-2025 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Ashish Thakur and Ms. Sanchi Bansl were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relation to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Ashish Thakur and Ms. Sanchi Bansal, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this Court post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal on this 17th day of October, 2025

Seal.

Sd/-

(Dr. POONAM, HPAS),
Marriage Office-cum-sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H.P.).

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

अशोक कुमार पुत्र नानक चन्द, निवासी गांव व डाकघर सलोई, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र नानक चन्द (Retd.) Rank ASI(GD), Regimental No. 886887320 of 68 BN BSF bearing his PPO No. 021861404255 के सर्विस रिकार्ड में उसकी पत्नी का नाम 'लोजमा देवी (Ms. Lozma Devi)' के स्थान पर 'लोजमा (Lozama)' व जन्म तिथि 28-09-1968 के स्थान पर 28-09-1969 दर्ज करने बारे।

हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र नानक चन्द, निवासी गांव व डाकघर सलोई, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)-177203 की पत्नी के 10वीं विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम 'लोजमा (Lozama)' व जन्म तिथि 28-09-1969 दर्ज है, जबकि प्रार्थी अशोक कुमार (Retd.) Rank ASI(GD), Regimental No. 886887320 of 68 BN BSF bearing his PPO No. 021861404255 के बी.एस.एफ./पी.पी.ओ. रिकार्ड में उसकी पत्नी का नाम (Ms. Lozma Devi) व जन्म तिथि 28-09-1968 दर्ज है। 'लोजमा (Lozama)' व लोजमा देवी (Ms. Lozma Devi) एक ही औरत है व एक ही औरत का नाम है। इसलिए प्रार्थी अशोक कुमार (Retd.) Rank ASI(GD), Regimental No. 886887320 of 68 BN BSF bearing his PPO No. 021861404255 के बी.एस.एफ./पी.पी.ओ. रिकार्ड में उसका नाम (Ms. Lozma Devi) के स्थान पर 'Lozama' व जन्म तिथि '28-09-1968' के स्थान पर '28-09-1969' दर्ज होना न्यायसंगत है।

इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति का एतराज एवं आपत्ति हो तो वह इशतहार प्रकाशित होने के एक माह की अवधि के भीतर-भीतर असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

आज दिनांक 23-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

बलवन्त सिंह पुत्र प्रताप सिंह, निवासी गांव व डाकघर घंगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थी की नाबालिग पुत्री शिवानी का नाम उसके आधार कार्ड नम्बर 324594418455 में सुहाना (Suhana) के स्थान पर पर 'शिवानी (Shivani)' दर्ज करने बारे।

हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी बलवन्त सिंह पुत्र प्रताप सिंह, निवासी गांव व डाकघर घंगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) की नाबालिग पुत्री 'शिवानी (Shivani)' का नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र, हिमाचली बोनाफाईड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार 'शिवानी (Shivani)' दर्ज है जबकि उसके आधार कार्ड नम्बर 324594418455 पर उसका नाम में 'सुहाना (Suhana)' दर्ज है। शिवानी व सुहाना एक ही लड़की है व एक ही लड़की के नाम हैं। इसलिए आधार कार्ड नम्बर 324594418455 रिकॉर्ड में प्रार्थी की पुत्री का नाम 'सुहाना (Suhana)' की जगह पर 'शिवानी (Shivani)' दर्ज होना न्याय संगत है।

इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति का एतराज एवं आपत्ति हो तो वह इशतहार प्रकाशित होने के एक माह की अवधि के भीतर-भीतर असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

आज दिनांक 23-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्रीमती सुरेश कुमारी पत्नी प्रताप सिंह, निवासी गांव व डाकघर सूरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थिया श्रीमती सुरेश कुमारी का नाम उसके पति प्रताप सिंह (Retd.), ASI, Regimental No. 860438230 of 44 BN BSF bearing PPO No. 021851205211 dated 24-08-2012 के सर्विस रिकॉर्ड में ज्योति सुरयाल के स्थान पर सुरेश कुमारी व जन्म तिथि 01-04-1972 के स्थान पर 03-04-1973 दर्ज करने बारे।

हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती सुरेश कुमारी पत्नी प्रताप सिंह, निवासी गांव व डाकघर सूरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) का आधार कार्ड, 10वीं के स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम सुरेश कुमारी व जन्म तिथि 03-04-1973 दर्ज है, जबकि उनके

पति प्रताप सिंह (Retd.), ASI, Regimental No. 860438230 of 44 BN BSF bearing PPO No. 021851205211 dated 24-08-2012 के बी.एस.एफ./पी.पी.ओ. रिकॉर्ड में उसका नाम ज्योति सुरयाल (Jyoti Suryal) व जन्म तिथि 01-04-1972 दर्ज है। सुरेश कुमारी व ज्योति सुरयाल एक ही औरत हैं व एक ही और का नाम हैं। इसलिए उसके पति प्रताप सिंह [(Retd.), ASI, Regimental No. 860438230 of 44 BN BSF bearing PPO No. 021851205211 dated 24-08-2012] बी.एस.एफ./पी.पी.ओ. रिकॉर्ड में उसका नाम ज्योति सुरयाल के स्थान पर सुरेश कुमार व जन्म तिथि 01-04-1972 के स्थान पर 03-04-1973 दर्ज होना न्यायसंगत है।

इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति का एतराज एवं आपत्ति हो तो वह इशतहार प्रकाशित होने के एक माह की अवधि के भीतर-भीतर असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

आज दिनांक 23-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

CORRECTION OF NAME

I, Pradeep Kumar s/o Sh. Jalam Singh, r/o Village Kandyari, P.O. Balikoti, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) hereby declare that my correct name is Pradeep Kumar, whereas in my son's 10th and 12th class certificate, it is incorrectly recorded as Pardeep Kumar. I request that it be corrected to Pradeep Kumar. Kindly note the related.

PRADEEP KUMAR
s/o Sh. Jalam Singh,
r/o Village Kandyari, P.O. Balikoti,
Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vinod Kumar s/o Sh. Ram Prakash, r/o Village Kaisu (211), P.O. Mamlig, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.)-173222 hereby declare that I have changed my minor daughter's name from Laxita Thakur d/o Smt. Nirmla Devi to Lakshita Thakur. All concerned may please note for future.

VINOD KUMAR
s/o Sh. Ram Prakash,
r/o Village Kaisu (211), P.O. Mamlig,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ghan Shyam Rana s/o Sh. Tek Chand, r/o V.P.O. Kakrain, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. 5455 4748 6970 wrongly entered as Ghan Shyam Rana. Whereas my correct name is Ghan Shiam Rana. Concerned note it.

GHAN SHYAM RANA
*s/o Sh. Tek Chand, r/o V.P.O. Kakrain,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ashok Kumar s/o Sh. Bidhi Chand, r/o Village Sarohal, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Abhikesh to Avikesh Kumar for all purposes in future. All concerned please note.

ASHOK KUMAR
*s/o Sh. Bidhi Chand,
r/o Village Sarohal, P.O. Karot,
Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Banti Devi w/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Samloh (503), P.O. Bhaguri, Sub-Tehsil Kishangarh, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Banti Devi to Banto Devi. All concerned please note for future.

BANTI DEVI
*w/o Sh. Jeet Ram,
r/o Village Samloh (503), P.O. Bhaguri,
Sub-Tehsil Kishangarh, District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Banti Ram s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Pungwana, P.O. Janali, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Jatinder to Jitender. All concerned please note.

BANTI RAM
*s/o Sh. Ranjeet Singh,
r/o Village Pungwana, P.O. Janali,
Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Kishan Dutt s/o Sh. Hari Dutt, r/o Village Naura Khandol, P.O. Deothi, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Kishan Dutt to Krishan Dutt. All concerned please note for future.

KISHAN DUTT
s/o Sh. Hari Dutt,
r/o Village Naura Khandol,
P.O. Deothi, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Meena Devi w/o Sh. Bansi Ram, r/o V. & P.O. Bhawai (142), Tehsil Haripur Dhar, Distt. Sirmaur (H.P.)-173104 declare that I have changed my name from Meena Devi to Maina Devi. Please note all concerned, for future.

MEENA DEVI
w/o Sh. Bansi Ram,
r/o V. & P.O. Bhawai (142), Tehsil Haripur Dhar,
Distt. Sirmaur (H.P.)-173104.

CHANGE OF NAME

I, Rohit Singh s/o Kuldeep Singh, Vill. Ustehar, P.O. Deogran, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that as per all certificates & CBSE, my name has entered as Rohit but as per Aadhar Card & other documents my name has entered as Rohit Singh. Kindly enter & read my name as Rohit Singh.

ROHIT SINGH
s/o Kuldeep Singh,
Vill. Ustehar, P.O. Deogran,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Sahil s/o Rasid Mohd, r/o Vill. Upper Khariyan, Tehsil & P.O. Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that my actual name is Mohammad Sahil but it is wrongly entered as Sahil Mohammad in my Aadhar Card. Please Note.

MOHAMMAD SAHIL
s/o Rasid Mohd,
r/o Vill. Upper Khariyan,
Tehsil & P.O. Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tara Devi c/o Tirth Raj, r/o Vill. Sawakhari, P.O. Balu, Tehsil Aut, Distt. Mandi (H.P.) declare to correct my daughter's name as Ojasvi instead of Ojesbi in her Aadhar Card.

TARA DEVI
c/o Tirth Raj,
r/o Vill. Sawakhari, P.O. Balu,
Tehsil Aut, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Devku Devi w/o Him Singh, r/o Village Rubhari, P.O. and Sub-Tehsil Bagachanogi, District Mandi (H.P.) hereby declare that my minor daughter's name is recorded as Bavli Devi in all government documents, but it is incorrectly recorded as Babli Devi in her Aadhar Card. I request that it be corrected to Bavli Devi.

DEVKU DEVI
w/o Him Singh,
r/o Village Rubhari, P.O. and Sub-Tehsil Bagachanogi,
District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tarlok Nath s/o Late Kali Dass, r/o Ward No. 6, Village Sujanpur, P.O. Sujanpur, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Tarilok Nath to Tarlok Nath for all purposes in future. All concerned please note.

TARLOK NATH,
s/o Late Kali Dass,
r/o Ward No. 6, Village Sujanpur, P.O. Sujanpur,
Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kalyan Singh s/o Sh. Galabu, r/o Village Dana, P.O. Barag, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) have changed the name of my son Arun (Old Name) to Aryan (New name). All concerned please note.

KALYAN SINGH,
s/o Sh. Galabu
r/o Village Dana, P.O. Barag,
Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rkvab Parwana s/o Late Ganu Ram, r/o Village Bharmat, P.O. Banuri, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176061 declare that my correct name is "RKVAB PARWANA". My name has been wrongly recorded as "RAM KUMAR", which should be treated as incorrect. Henceforth, I shall be known by my correct name "RKVAB PARWANA" only.

RKVAB PARWANA,
s/o Late Ganu Ram,
r/o Village Bharmat, P.O. Banuri,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176061.

CHANGE OF NAME

I, Tenzin Nyima c/o Shri Gian Bahadur Gurung, r/o House No. 244, Ward No. 5, Near Kashmir House Lodge, Session Road Dharamshala, Dharamsha (T), Kangra (H.P.). 176215 declare that I have changed my name in my Aadhar Card No. 2816-9899-0552 from SANDESH GURUNG (Old name) to TENZIN NYIMA (New name). All concerned please may note.

TENZIN NYIMA,
c/o Shri Gian Bahadur Gurung,
r/o House No. 244, Ward No. 5,
Near Kashmir House Lodge,
Session Road Dharamshala, Dharamsha (T),
Kangra (H.P.)- 176215.

CHANGE OF NAME

I, Uma Vati w/o Sh. Jai Prakash, r/o Village Janol, P.O. Rouri, Teshil & Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Reena (Old Name) to Uma Vati (New Name). All concerned please may note.

UMA VATI
w/o Sh. Jai Prakash,
r/o Village Janol, P.O. Rouri ,
Teshil & Distt. Shimla (H.P.).